[2021] 9 एस. सी. आर 678

गुलाब

बानाम

उत्तर प्रदेश राज्य

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 81)

09 दिसंबर, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,ए. एस. बोपन्ना और विक्रम नाथ, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860-एस. एस. 302 , 34 - घातक गोली चलाने वाले सह-अभियुक्त को उकसाना-सामान्य इरादा-अपीलार्थी ने यू /

एस। 302 आर/डब्ल्यू एस। 34 जबकि सह-अभियुक्त (मृत होने के बाद से) को यू/दोषी ठहराया गया था s.302; आजीवन कारावास की सजा-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: अभियोजन पक्ष को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि मृतक को मारने के लिए अभियुक्त के बीच एक विस्तृत योजना थी या लंबे समय से एक योजना अस्तित्व में थी-अपराध करने का एक सामान्य इरादा साबित हो जाता है यदि अभियुक्त अपने शब्दों या कार्रवाई से अपराध करने में शामिल होने के लिए अपनी सहमति का संकेत देता है-अपीलकर्ता एक लाठी के साथ मौके पर पहुंचा, सह-अभियुक्त के साथ जिसके पास पिस्तौल थी-रिकॉर्ड पर साक्षय स्पष्ट रूप से एक सामान्य इरादे को स्थापित करता है जिसके अनुसरण में अपीलकर्ता ने उसे मृतक अपीलार्थी को मारने के लिए प्रोत्साहित किया।

अपराध करने के लिए प्रोत्साहन महत्वपूर्ण था क्योंकि यह कहने के बाद ही कि दुश्मन मिल गया था, कि सह अभियुक्त ने घातक गोली चलाई।

सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय-अपीलार्थी की भूमिका, उसकी उपस्थिति मौके पर और उपदेश की प्रकृति सभी तीन नेत्र गवाहों के सुसंगत खाते से उभरी है-अपील में कोई योग्यता नहीं है।

दंड संहिता, 1860 - एस. 34-चर्चा की महत्वाकांक्षा।

आपराधिक कानून-साक्षय-चश्मदीद-गवाह-संबंधित गवाह-आयोजित: केवल यह तथ्य कि मृतक के रिश्तेदार ही एकमात्र हैं

गवाह अपनी ठोस गवाही को बदनाम करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

आपराधिक कानून-आग्नेयास्त्र का उपयोग-बैलिस्टिक विशेषज्ञ की गैर-जांच-आयोजित: एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता जो

किसी विशेष हथियार के कारण होने वाली घातक चोटों की गवाही दे सकते हैं

प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाहों के विश्वसनीय साक्षय पर महाभियोग चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है- दंड संहिता संहिता, 1860 एस। 302 , 34 .

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़ना: 1. 'इच्छुक गवाहों' का साक्षय

अपने मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने भरोसा किया

तीन चश्मदीद गवाहों, पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 के साक्षय पर। पीडब्लू-1, जो मृतक ('एच') का भाई है, ने बताया कि घटना के दिन शाम करीब 5 बजे वह 'एम' के घर गया था, जहाँ मृतक अपनी बेटी की बीमारी के बारे में सूचित करने के लिए काम कर रहा था। पीडब्लू-1 को 'एम' के भाई ने सूचित किया कि मृतक तालाब की ओर गया था जहाँ उसने देखा था

मृतक। उसी समय, 'आई' (सह-अभियुक्त) और अपीलार्थी एक मस्जिद से घटनास्थल की ओर बढ़ रहे थे। जब मृतक खुद को साफ करने के बाद खड़ा हुआ, तो अपीलार्थी ने 'आई' को मारने के लिए प्रोत्साहित किया

उसे दुश्मन घोषित करते हुए। ' मैंने 0.315 बोर पिस्तौल से 'H' पर 'गोली चलाई। गोली उनके सीने में लगी और वह नीचे गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पीडब्लू-1 ने कहा कि इस घटना को (पीडब्लू 2, मृतक का एक चचेरा भाई), (पीडब्लू-3, मृतक का एक रिश्तेदार) और एक 'एल' ने देखा था, जिन्हें गाँव भागने से पहले अभियुक्तों द्वारा धमकी दी गई थी। पीडब्लू-1 ने कहा कि वह आरोपी के डर से तुरंत पुलिस स्टेशन नहीं गया और अंतत:

9 बजे अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई: 30 पी एम। उन्होंने यह भी कहा कि मृतक और 'आई' के बीच लगभग पांच महीने पहले लड़ाई हुई थी जिसमें मृतक पर आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था। उनकी प्रतिपरीक्षा के दौरान, पीडब्लू 1 से घटना के स्थान के बारे में विस्तार से पूछताछ की गई और

मृतक की स्थिति जब गोली उसे लगी थी। इससे कोई भौतिक विसंगति या विरोधाभास सामने नहीं आया है

प्रत्यक्षदर्शी का प्रमाण। पीडब्लू-2 ने विशेष रूप से तालाब से अपने घर की निकटता के बारे में अपदस्थ किया। उन्होंने तालाब में उपस्थित होने का एक ठोस कारण प्रस्तुत करते हुए कहा कि

वह तालाब में तरोताजा हो रहे हैं। अपने बयान के दौरान, पीडब्लू-2 ने विशेष रूप से अपीलार्थी की भूमिका और उपस्थिति का उल्लेख किया जो छड़ी से लैस था और मृतक को मारने के लिए 'आई' का आह्वान कर रहा था। पीडब्लू-3, समान शब्दों में, उस स्थान पर अपदस्थ किया गया जहाँ मृतक को गोली मारी गई थी। पीडब्लू-3 ने बताया कि वह तरोताजा होकर घर लौट रहा था। जब वह वहाँ पहुँचा। तालाब में, उसने अपीलार्थी को मृतक को मारने के लिए 'आई' को प्रोत्साहित करते देखा, जिसके बाद 'आई' ने उस पर गोली चला दी और गोली उसकी छाती में लग गई। पीडब्लू 1,2 और 3 के बयानों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, [2021] 9 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

घटना की प्रकृति या उत्पत्ति के संबंध में कोई भौतिक विसंगति नहीं है। तीनों गवाहों ने (i) तालाब के पास मृतक की उपस्थिति; (ii) घटना स्थल पर अपीलार्थी और 'I' की उपस्थिति; (iii) अपीलार्थी ने मृतक को मारने के लिए 'I' का आह्वान किया; और (iv) 'I' ने मृतक को गोली मार दी, जिसके परिणामस्वरूप उसे छाती पर चोट लगी और वह मौके पर ही गिर गया। केवल यह तथ्य कि मृतक के रिश्तेदार ही एकमात्र गवाह हैं, उनकी ठोस गवाही को बदनाम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभिलेख पर साक्षय का सत्र न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया गया है। तीन नेत्र गवाहों की उपस्थिति को बदनाम करने का कोई आधार नहीं है और क्रूस के दौरान कुछ भी सामने नहीं आया है।

उनकी उपस्थिति पर संदेह करने के लिए जाँच। मृतक की बेटी, जो कथित रूप से अस्वस्थ थी, की गैर-जाँच को ऐसी परिस्थिति नहीं माना जा सकता है जो अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक हो, जब पीडब्लू 1,2 और 3 का नेत्र साक्षय सुसंगत और विश्वसनीय हो। मृतक को लगी चोटों की प्रकृति चश्मदीद गवाहों द्वारा दिए गए विवरण के अनुरूप है। [पारस 14-16] [689-G-H; 690-A-H; 692-A-B]

मोहम्मद. रोजाली वी. असम राज्य (2019) 19 एस. सी. सी. 567 -

पर भरोसा किया।

2. हथियार को बरामद करने और बैलिस्टिक की जांच करने में विफलता

विशेषज्ञ

मृतक को बंदूक से गोली लगने से चोट लगी थी

प्रवेश और निकास। इसलिए अपराधों के हथियार की बरामदगी न होने से अभियोजन पक्ष के मामले को बदनाम नहीं किया जा सकता है जिसने पीडब्लू 1,2 और 3 के चश्मदीद गवाहों के विवरणों पर भरोसा किया है। वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहां एक आग्नेयास्त्र या कारतुस की बरामदगी के बावजूद अभियोजन पक्ष बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट पेश करने में विफल रहा हो। इसलिए, एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता जो किसी विशेष हथियार से होने वाली घातक चोटों की गवाही दे सकती है, प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाहों के विश्वसनीय साक्षय पर महाभियोग चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। [पैरा 17,20] [692-सी-डी; 695-बी-सी]

सुखवंत सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1995) 3 एससीसी: [1995] 2 एससीआर 1190-प्रतिष्ठित।

गुलाब वी. उत्तर प्रदेश राज्य

गुरुचरण सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1963) 3 एससीआर 585; पंजाब राज्य बनाम। जुगराज सिंह (2002) 3 एससीसी 234: [2002] 1 एस. सी. आर. 998 पर भरोसा किया। 3.1 आईपीसी की धारा 34 के तहत सामान्य इरादा

विरेन्द्र सिंह बनाम मामले में उच्चतम न्यायालय की धारा 34 में अंतर्निहित मौलिक सिद्धांतों पर जोर देते हुए। मध्य प्रदेश राज्य ने माना कि: (i) धारा 34 एक विशिष्ट अपराध पैदा नहीं करती है, लेकिन यह रचनात्मक दायित्व का एक सिद्धांत है; (ii) एक संयुक्त अपराध को जन्म देने के लिए।

किसी अपराध के लिए दायित्व, उस कार्य को करने के लिए अभियुक्त व्यक्तियों के बीच एक पूर्व-व्यवस्थित और पूर्व-मध्यस्थ संगीत कार्यक्रम होना चाहिए। वास्तव में किया गया; (iii) कार्य और पूर्व-ध्यान के बीच एक लंबा अंतराल नहीं हो सकता है और योजना अचानक बनाई जा सकती है। धारा 34 के लागू होने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि

अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि कोई कार्य किसी विशेष व्यक्ति द्वारा किया गया था; और (iv) प्रावधान का उद्देश्य उन मामलों को शामिल करना है जहां कई व्यक्ति एक साथ कार्य करते हैं और मामले के तथ्यों पर, यह नहीं है अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना संभव है कि वास्तव में अपराध किसने किया था। [पैरा 24] [697-बी-एफ]

विरेन्द्र सिंह बनाम। मध्य प्रदेश राज्य (2010) 8

एस. सी. सी. 407 [2010] 9 एस. सी. आर. 772-पर निर्भर था।

3.2 अभिलेख पर साक्षय स्पष्ट रूप से एक सामान्य इरादे को स्थापित करता है जिसके अनुसरण में अपीलार्थी ने मृतक को मारने के लिए 'मैं' को प्रोत्साहित किया। अभियोजन पक्ष को साबित करने की आवश्यकता नहीं है

कि मृतक को मारने के लिए अभियुक्त के बीच एक विस्तृत योजना थी या एक योजना लंबे समय से अस्तित्व में थी। अपराध करने का एक सामान्य इरादा तब साबित होता है जब आरोपी अपने शब्दों या कार्रवाई से अपराध करने में शामिल होने के लिए अपनी सहमति का संकेत देता है। अपीलार्थी 'आई', जिसके पास पिस्तौल थी, के साथ लाठी लेकर मौके पर पहुँचा। अपीलार्थी का उपदेश अपराध करने के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह बयान देने के बाद ही कि दुश्मन मिल गया है, 'मैंने' घातक गोली चलाई। अपीलार्थी की भूमिका, मौके पर उसकी उपस्थिति और प्रोत्साहन की प्रकृति सभी सुसंगतता से उभरी हैं।

तीन चश्मदीद गवाहों का लेखा। [पैरा 27] [699-डी-एफ] [2021] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पांडुरंग, तुकिया और भिल्लिया बनाम। हैदराबाद राज्य

[1955] एस. सी. आर. 1 1083; छोटा अहिरवार बनाम। मध्य राज्य

प्रदेश (2020) 4 एससीसी 126: [2020] 3 एससीआर 776;

धनपाल बनाम. राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2020) 5 एस. सी. सी. 705;

संदीप वी. हरियाणा राज्य 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 642

– पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

[1995] 2 एससीआर 1190

प्रतिष्ठित

पैरा 17

[2002] 1 एससीआर 998

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

[2010] 9 एससीआर 772

उस पर भरोसा करें

पैरा 23

[2020] 3 एससीआर 776

उस पर भरोसा करें

पैरा 25

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: क्रिमिनल एपिया

2021 का No.81।

उच्च न्यायालय के 19.06.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

1991 की आपराधिक अपील No.2172 में इलाहाबाद में न्यायिक कार्य।

एस. महेंद्रन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

विनोद दिवाकर, एएजी, बी. एन. दुबे, सुश्री रुचिरा गोयल, सुश्री मान शर्मा, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय दिया गया:

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

एक परिचय।

..... 3

... . 10

बी.

प्रस्तुतियाँ

विश्लेषण

सी.

..... 13

सी. 1 'इच्छुक गवाहों' का साक्षय

..... 13

C. 2 हथियार को बरामद करने और बैलिस्टिक की जांच करने में विफलता

..... 16

विशेषज्ञ।

सी. 2 आई. पी. सी. की धारा 34 के तहत सामान्य इरादा।

निष्कर्ष।

..... 25

डी.

एक परिचय

1. यह अपील 19 जून के एक फैसले और आदेश से उत्पन्न होती है।

2020 अल्लाहबा गुलाब बनाम में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की खंड पीठ।

उत्तर प्रदेश राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

1991 की आपराधिक अपील संख्या 2172 में। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील 13 नवंबर 1991 के एक फैसले और आदेश से उत्पन्न हुई

जिसके परिणामस्वरूप 1989 का अपराध मामला संख्या 78 इदरीश और अपीलार्थी के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 302 और 34 के तहत दर्ज किया गया था। लिखित रिपोर्ट में कहा गया है कि पीडब्लू-1 का भाई हनीफा, जो लगभग 26 साल का था, मजीद के घर पर काम कर रहा था। काम के बाद हनीफा नहाने के लिए पास के एक तालाब में चली गई थी। जब से हनीफा की बेटी बीमार हो गई थी, तब से पीडब्लू-1 शाम करीब 5 बजे हनीफा को फोन करने गया। इदरीश जो एक के साथ सशस्त्र था 0.315 बोर देसी पिस्तौल और लाठी से लैस अपीलार्थी ईदगाह की तरफ से आया। अपीलार्थी पर आरोप है कि उसने इदरीश को यह कहते हुए उकसाया कि इसके परिणामस्वरूप "दुश्मन मिल गया है"।

जिसमें से इदरीश ने हनीफा पर गोली चलाई। बताया जा रहा है कि गोली हनीफा के सीने में लगी थी, जिससे वह गिर गया और उसकी मौत हो गई। इदरीश और अपीलार्थी पर आरोप है कि वे गाँव की ओर भाग गए हैं। लिखित रिपोर्ट में बताया गया है कि घटना से लगभग 5 महीने पहले हनीफा और इदरीश के बीच लड़ाई हुई थी और हनीफा को आपराधिक मामले में आरोपी बनाया गया था। उसकी हत्या का कारण यही बताया जा रहा है। पीडब्लू-1 ने कहा कि आरोपी के डर से पहले प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी और ग्रामीणों के आने के बाद लिखित रिपोर्ट दर्ज की गई थी। लिखित रिपोर्ट 22 नवंबर 1989 को एक शब्बीर खान द्वारा लिखी गई थी।

पीडब्लू-1 का आदेश। घटना स्थल और पुलिस स्टेशन के बीच की दूरी 11 किलोमीटर है।

3. 23 नवंबर 1989 को पीडब्लू-5 द्वारा शव परीक्षण किया गया था। निम्नलिखित चोटों को नोट किया गया:

" आई. दाहिनी अस्थायी क्षेत्र पर 1 सेमी x 1 सेमी घर्षण 1 सेमी से दाहिनी आंख तक। ii. प्रवेश पर जी. एस. घाव बाईं ओर की छाती के सामने 0.8 x 0.8 सेमी, 7 'ओ' घड़ी की स्थिति में बाएं निप्पल से 7 सेमी नीचे। मार्जिन उल्टा,

"आई. पी. सी". [2021] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

घाव के चारों ओर मौजूद टैटू बनाना, काला करना और खरोंचना
13 सेमी x 9 सेमी का क्षेत्रफल।

iii. बायीं तरफ की छाती के पीछे निकास 1 सेमी x 1 सेमी का जीएस घाव, जो चोट संख्या 2,10 सेमी नीचे और मध्य से निम्न स्तर तक संचारित करता है।
बाएं स्कैपुला का कोण और सेप्टम हार्ट और फेफड़े पर 3 सेमी पार्श्व से बीच में छिद्रित।
फुफ्फुसीय गुहा में लगभग 1 लीटर मुक्त और थक्का युक्त रक्त मौजूद होता है।

मौत का कारण पूर्व-शव परीक्षण बंदूक की गोली की चोट के परिणामस्वरूप सदमे और रक्तस्राव को माना गया था।

4. जाँच पूरा होने के बाद, 16 दिसंबर 1989 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। मुकदमे द्वारा आरोप तय किए गए थे 4 मार्च 1991 को न्यायाधीश। इदरीश पर धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया था जबकि अपीलार्थी पर आई. पी. सी. की धारा 302 और 34 के तहत आरोप लगाया गया था।

5. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए तीन चश्मदीद गवाहों से पूछताछ की:

(1) पीडब्लू-1 शब्बीर, मृतक का बड़ा भाई; (2) पीडब्लू-2 सद्दु, मृतक का चचेरा भाई; और (3) पीडब्लू-3 इद्दु, मृतक का रिश्तेदार। 13 नवंबर 1991 को, सत्र न्यायाधीश, बांदा ने इदरीश को धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध और अपीलार्थी को आईपीसी की धारा 302 और 34 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सत्र न्यायाधीश के फैसले को आपराधिक अपील सं. 2172/1991 होने की अपील में आक्षेपित किया गया था। इदरीश की मृत्यु हो गई।

अपील के लंबित रहने के दौरान।

6. अपील के समर्थन में उच्च न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया गया था:

लगभग साढ़े पाँच की अस्पष्टीकृत देरी हुई।

((i)

एफ़. आई. आर. दर्ज करने के घंटे जो इंगित करते हैं कि कथित चश्मदीद गवाह घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे;

((ख)

पीडब्लू 1,2 और 3, कथित चश्मदीद गवाह, रिश्तेदार थे

मृतक और उनकी गवाही उनकी उपस्थिति के संबंध में विरोधाभासों के कारण त्याग किए जाने के लिए उत्तरदायी है और

अपीलार्थी की भूमिका;

(iii)

कथित मकसद इदरीश और अपीलार्थी के खिलाफ था।

गलत तरीके से फंसाया गया है क्योंकि कोई स्पष्ट कार्य नहीं किया गया है

उसे सौंपा गया; गुलाब v.

उत्तर प्रदेश राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

((iv) अपीलार्थी को प्रोत्साहन की भूमिका सौंपी गई है।

जो एक कमजोर प्रकार का साक्षय है;

(v)

मृतक की बेटी की जाँच नहीं की गई थी

विचारण के दौरान या जाँच के दौरान भी जो संकेत देगा

कि मौके पर पीडब्लू-1 की उपस्थिति का कारण हो सकता है

प्रमाणित नहीं किया जाएगा; और

(vi) अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है।

उसे सौंपी गई "सजावटी" भूमिका के लिए।

7. उच्च न्यायालय ने कहा कि:

((i)

पीडब्लू-1 के बारे में कहा जाता है कि वह फोन करने के लिए तालाब की ओर बढ़ा। उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि उसकी बेटी अस्वस्थ थी;

अभियुक्त ने तालाब की निकटता को चुनौती नहीं दी

((ख)

पीडब्लू-1 के घर से;

(iii)

पीडब्लू-1 मुकदमे में अपदस्थ किया गया कि उसे द्वारा सूचित किया गया था मजीद के भाई ने कहा कि मृतक तालाब की ओर बढ़ गया था। पीडब्लू-1 को जाँच के दौरान अपने पिछले बयान में इस तरह के प्रकटीकरण के अभाव का सामना करना पड़ा था;

((iv) विरोधाभास के साथ ज्यादा विश्वास नहीं जोड़ा जा सकता है।

क्योंकि पीडब्लू-1 ने जांच के दौरान पीडब्लू-6, आई. ओ. को सूचित किया था कि वह बाद में तालाब की ओर बढ़ गया था। के ठिकाने के बारे में जानकारी एकत्र करना

मृतक। तार्किक निष्कर्ष यह था कि पीडब्लू-1 पहले मजीद के स्थान पर गया जहाँ मृतक उसे अपनी बेटी की बीमारी के बारे में सूचित करने के लिए काम करता था। लेकिन इस बीच, यह जानने के बाद कि मृतक पहले ही अपनी दिनचर्या के अनुसार तालाब के लिए निकल चुका था, पीडब्लू 1 तालाब में चला गया। इस प्रकार, पीडब्लू-1 की उपस्थिति थी

स्थल पर स्थापित;

(v)

पीडब्लू 2 और 3 के घर तालाब के पास थे और वे चले गए थे

तालाब के पास खुद को आराम करने के लिए। लौटते समय वे

अपीलार्थी को देखा जो लाठी से लैस था और प्रोत्साहित कर रहा था

इदरीश, जो एक 0.315 बोर देसी पिस्तौल से लैस था, मृतक को खत्म करने के लिए बनाया गया था, जबकि मृतक तालाब के पास अपनी ऊपर की चढ़ाई पर था;

(vi)

हालाँकि गवाह मृतक से संबंधित हो सकते हैं, कि

उनके [2021] 9 एस. सी. आर. के बाद उनकी गवाही को त्यागने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

घटना स्थल पर उपस्थिति स्थापित की गई थी और

वे विश्वसनीय पाए गए;

(vii) पीडब्लू 2 और 3 के पास उनके घर थे और यह नहीं था

उनके लिए एक कॉल का जवाब देने के लिए तालाब की ओर बढ़ना अस्वाभाविक है

प्रकृति का;

(viii) घटना जिस तरीके और तरीके से हुई थी और इदरीश को प्रोत्साहित करने में अपीलार्थी की भूमिका के संबंध में तीनों चश्मदीद गवाह थे। गवाहों की उपस्थिति विधिवत स्थापित की गई थी क्योंकि वे उस दूरी से थे जहाँ से उन्होंने घटना देखी थी।

(ix)

प्रकृति में कोई बड़ी विसंगति नहीं थी
उपदेश, जिसका सार यह था कि मृतक

एक दुश्मन था जिसे समाप्त करना था;

(x)

अपीलार्थी के साथ पूर्व शत्रुता थी

मृतक। इसके अलावा, अपीलार्थी इदरीश का भतीजा था।

(xi) धारा 34 की सहायता से दोषसिद्धि को आकर्षित करना

आई. पी. सी., लाठी से लैस इदरीश के साथ अपीलार्थी की उपस्थिति और इदरीश को प्रोत्साहित करने की उसकी भूमिका

हत्या करना पर्याप्त था;

(xii) एफ़. आई. आर. दर्ज करने में साढ़े पाँच घंटे की देरी गवाहों के आरोपी से डरने के कारण हुई, जो कि ग्रामीण परिदृश्य में विश्वसनीय है। पुलिस स्टेशन भी 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। यह घटना नवंबर की शाम लगभग 5:30 बजे हुई थी और पीडब्लू-1 ने 10.30 बजे रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आगे बढ़े।

गाँव वालों के इकट्ठा होने के बाद ही। इसलिए हो रही है देरी

संतोषजनक रूप से समझाया गया था; और

(xiii) मृतक की बेटी की जांच न होने के संबंध में, आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-6) ने कहा कि हालांकि उन्होंने लड़की से उसकी बीमारी के बारे में शारीरिक रूप से पूछताछ नहीं की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि

पूछताछ जिसने पुष्टि की कि वह बीमार थी। की गवाही

आई. ओ. को चुनौती नहीं दी गई थी।

उपरोक्त आधारों पर, उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और ट्रायल जज के फैसले को रद्द कर दिया। 8. 25 जनवरी 2021 को छुट्टी दी गई थी। 26 फरवरी 2021 को, आवर्ट को सूचित किया गया कि अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड जिसने GULAB v दर्ज किया था।

उत्तर प्रदेश राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अपीलार्थी की ओर से एक उपस्थिति की मृत्यु 20 फरवरी 2021 को हुई थी। इसलिए अपीलार्थी को शामिल करने में सक्षम बनाने के लिए एक संक्षिप्त स्थगन की मांग की गई थी।

जमानत के आवेदन पर नोटिस जारी किए जाने के बाद से एक अन्य अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड है। 15 मार्च 2021 को, इस न्यायालय ने नोट किया कि अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की गई थी। तदनुसार, उच्चतम न्यायालय कानूनी सेवा समिति (एस. सी. एल. एस. सी.) को अपीलार्थी की ओर से पेश होने के लिए एक पैनल वकील को नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था। में

इस बीच, कार्यवाही को चार सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित कर दिया गया ताकि अपीलार्थी अपनी पसंद के वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था कर सके। 12 अप्रैल 2021 को,

श्री एस. महेंद्रन, जिन्हें एस. सी. एल. एस. सी. द्वारा नियुक्त किया गया था, ने अनुरोध किया और उन्हें स्थगन की अनुमति दी गई।

जिला जेल बंदा के अधीक्षक ने उन्हें सूचित किया कि वह आठ सप्ताह की अवधि के भीतर अपनी पसंद के वकील को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी वकील को जिला जेल बंदा के अधीक्षक के माध्यम से अपीलार्थी को नोटिस की एक प्रति देने का निर्देश दिया गया था। 6 अक्टूबर 2021 को, एस. सी. एल. एस. सी. द्वारा नियुक्त वकील ने कहा कि हालांकि अपीलार्थी ने व्यक्त किया था अपने वकील को नियुक्त करने की उनकी इच्छा के कारण, उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की थी। इसलिए विद्वान वकील को अपीलार्थी से संपर्क करने की अनुमति दी गई थी

संबंधित जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। जेल अधीक्षक को श्री एस. महेंद्रन और अपीलार्थी के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। 17 नवंबर 2021 को कार्यवाही की सुनवाई स्थगित कर दी गई। 26 फरवरी 2021 से अपीलार्थी को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, उसके द्वारा कोई वकील नियुक्त नहीं किया गया है और वह पेश नहीं हुआ है। हमने तदनुसार एस. सी. एल. एस. सी. द्वारा नामित वकील श्री एस. महेंद्रन को सुना है। हम रिकॉर्ड की स्पष्टता के लिए नोट कर सकते हैं कि श्री एस महेंद्रन ने मामले में गहन और श्रमसाध्य तरीके से बहस की है। सुनवाई के दौरान, उन्होंने अपनी दलीलों को कुशलता से तैयार किया है और साक्षय अभिलेख के प्रासंगिक भाग के माध्यम से न्यायालय को लिया है।

बी प्रस्तुतियाँ

9. हमने अपीलार्थी के लिए एस. सी. एल. एस. सी. द्वारा नामित वकील श्री एस. महेंद्रन और अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री दिवाकर [2021] 9 एस. सी. आर. को सुना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जी) सुश्री रुचिरा गोयल के साथ, उत्तर राज्य की विद्वान वकील

इश।

10. लांट की ओर से पेश विद्वान वकील श्री एस महेंद्रन प्रस्तुत करते हैं कि:

पीडब्लू-1 ने पदच्युत किया कि वह घटनास्थल पर मौजूद था

((i)

घटना के बाद से मृतक की बेटी बीमार थी और वह मृतक के कार्य स्थल पर जा रहा था उसे बीमारी के बारे में सूचित करें;

((ख)

मृतक की बेटी का परीक्षण नहीं किया गया था

मुकदमा, जो कथित कारण पर संदेह पैदा करता है

पीडब्लू-1 की उपस्थिति;

(iii)

पीडब्लू-1 को एक गवाह के रूप में लगाया गया है, जो इससे स्पष्ट है
तथ्य यह है कि उनके द्वारा दर्ज की गई एफ. आई. आर. घटना के लगभग साढ़े पाँच घंटे बाद की थी।

((iv) पीडब्लू-1 मृतक का छोटा भाई है जबकि पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 उससे संबंधित हैं। तीनों गवाहों की दिलचस्पी होने के कारण, उनकी गवाही की सावधानी से जांच की जानी चाहिए।

के बयानों में भौतिक विसंगतियां हैं

(v)

मृतक की स्थिति के संबंध में तीन कथित चश्मदीद गवाह जब उसे गोली मार दी गई थी। पीडब्लू-1, अपने बयान में,
इंगित किया कि मृतक खड़ा था। पीडब्लू2 ने संकेत दिया कि उन्हें उस समय गोली मारी गई थी जब वे बैठे थे, जबकि पीडब्लू3 ने कहा कि मृतक तालाब से चढ़ रहा था।

(vi) उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि इसमें भिन्नता थी

अपीलार्थी द्वारा इदरीश को दिए गए प्रोत्साहन की प्रकृति के संबंध में गवाहों का बयान, लेकिन साथ ही यह पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 के साक्षय पर निर्भर था;

(vii) पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 के साक्षय इंगित करते हैं कि मृतक और इदरीश के बीच पूर्व शत्रुता थी क्योंकि

जिनके गलत निहितार्थ से इनकार नहीं किया जा सकता है;

(viii) अपीलार्थी को धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया है।

आई. पी. सी. लेकिन अभिलेख पर सामग्री एक मामले को स्थापित नहीं करती है

सामान्य इरादा; और

(ix) हालांकि एक गोली की चोट थी, कोई वसूली नहीं

हथियार बना लिया गया है।

गुलाब वी. उत्तर प्रदेश राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

11. दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए. ए. जी. श्री दिवाकर ने प्रस्तुत किया कि:

((i)

मामला प्रत्यक्ष साक्षय और गैर-परीक्षण पर आधारित है।

पी. डब्ल्यू.-1, पी. डब्ल्यू.-2 और पी. डब्ल्यू.-3, जो विश्वसनीय चश्मदीद गवाह हैं, के नेत्र साक्षय को स्वीकार करने के बाद दो गवाहों का होना अप्रासंगिक है।

((ख)

यह घटना शाम साढ़े पांच बजे हुई, जबकि प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लिखित रिपोर्ट के आधार पर 10.30 बजे। पुलिस थाना घटना स्थल से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। ठहरने में कोई देरी नहीं है।

एफ. आई. आर.;

(iii)

एफ. आई. आर. में इसकी प्रकृति का विस्तृत विवरण है।

घटना और उस भूमिका को स्पष्ट करें जो अपीलार्थी के लिए जिम्मेदार है;

(iv) पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 सभी अपीलार्थी द्वारा प्रोत्साहन की प्रकृति के संबंध में अपने बयानों में सुसंगत हैं। जिरह के दौरान पीडब्लू-1 को घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति पर विवाद करने के लिए कोई सवाल नहीं पूछा गया था और न ही मृतक की बेटी और मजीद की गैर-जाँच के बारे में कोई सवाल उठाया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर पीडब्लू-1 को ठिकाने के बारे में सूचित किया था।

मृतक का; और

धारा 313 के तहत बयान के दौरान

(v)

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 2, मृतक के साथ पूर्व शत्रुता विशेष रूप से
का ध्यान आकर्षित किया गया था

अभियुक्त।

12. इन आधारों पर, राज्य की ओर से यह आग्रह किया गया है कि अपराध का निष्कर्ष जो सत्र न्यायाधीश द्वारा निकाला गया था उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से पुष्टि की गई, जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया

अपील में।

13. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों का अब विश्लेषण किया जाएगा।

सी विश्लेषण

सी. 1 'इच्छुक गवाहों' का साक्षय

14. अपने मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने इस पर भरोसा किया

तीन चश्मदीद गवाहों का साक्षय, पीडब्लू-1 शब्बीर, पीडब्लू-2 सद्दु और

पीडब्लू-3 इड्डू। पीडब्लू-1, जो मृतक का भाई है, ने बताया कि घटना के दिन शाम करीब 5 बजे वह मजीद के घर गया था, जहाँ मृतक उसे अपनी बेटी की बीमारी के बारे में सूचित करने के लिए काम कर रहा था। पीडब्लू-1 को मजीद के भाई-अहमद ने सूचित किया कि मृतक तालाब की ओर गया था जहाँ उसने मृतक को देखा था। उसी समय, इदरीश और अपीलार्थी एक मस्जिद से घटनास्थल की ओर बढ़ रहे थे। जब मृतक खुद को साफ करने के बाद खड़ा हुआ, तो अपीलकर्ता

ने इदरीश को दुश्मन घोषित करते हुए उसे मारने का आह्वान किया। इदरीश ने हनीफा पर एक 0.315 बोर पिस्तौल से गोली चलाई। गोली उनके सीने में लगी और वह नीचे गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पीडब्लू-1 ने कहा कि इस घटना को सड्डु (पीडब्लू-2), इड्डु (पीडब्लू-3) और लल्लू ने देखा था, जिन्हें गाँव भागने से पहले अभियुक्तों द्वारा धमकी दी गई थी। पीडब्लू-1 ने कहा कि वह आरोपी के डर से तुरंत पुलिस स्टेशन नहीं गया और अंततः 9 बजे अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई: 30 पी एम। उन्होंने यह भी कहा कि मृतक और इदरीश के बीच लगभग पांच महीने पहले लड़ाई हुई थी जिसमें मृतक पर आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था। 15. उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान, पीडब्लू-1 से घटना के स्थान और मृतक की स्थिति के बारे में विस्तार से पूछताछ की गई जब गोली उसे लगी थी। कोई भौतिक विसंगति नहीं या

प्रत्यक्षदर्शी के साक्षय से विरोधाभास सामने आया है। पीडब्लू-2-सड्डु ने विशेष रूप से तालाब से अपने घर की निकटता के बारे में अपदस्थ किया। उन्होंने तालाब में उपस्थित होने का एक ठोस कारण प्रस्तुत करते हुए कहा कि वह तालाब में तरोताजा हो रहे हैं। अपने बयान के दौरान, पीडब्लू 2 ने विशेष रूप से अपीलार्थी की भूमिका और उपस्थिति का उल्लेख किया

छड़ी से लैस होकर इदरीश को मृतक को मारने के लिए उकसाया। पीडब्लू-3 ईड्डू ने, इसी तरह, उस स्थान पर अपदस्थ किया है जहाँ मृतक को गोली मारी गई थी। पीडब्लू-3 ने बताया कि वह तरोताजा होकर घर लौट रहा था। जब वह तालाब पर पहुंचा, तो उसने देखा कि अपीलकर्ता इदरीश को मृतक को मारने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था, जिसके बाद इदरीश ने उस पर गोली चला दी और गोली उसकी छाती में लग गई। पीडब्लू 1,2 और 3 के बयानों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, घटना की प्रकृति या उत्पत्ति के बारे में कोई भौतिक विसंगति नहीं है। तीनों गवाहों ने (i) तालाब के पास मृतक की उपस्थिति; (ii) घटना स्थल पर अपीलार्थी और इदरीश की उपस्थिति; (iii) अपीलार्थी ने इदरीश को हत्या करने के लिए प्रोत्साहित किया है। मृतक; और (iv) मृतक को गोली मारना, जिसके परिणामस्वरूप उसे छाती पर चोट लगी और वह मौके पर ही गिर गया। यह कानून में अच्छी तरह से स्थापित है कि केवल यह तथ्य कि मृतक के रिश्तेदार ही एकमात्र गवाह हैं, उनकी ठोस गवाही को बदनाम करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

गुलाब वी. उत्तर प्रदेश राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

एन. टी. एल., मोहम्मद में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ। रोजाली वी. एम, 3 की स्थिति ने "इच्छुक" और "संबंधित" सार के बीच अंतर को दोहराया। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि केवल यह तथ्य कि गवाह मृतक से संबंधित हैं, उनके साक्षय की विश्वसनीयता को

बाधित नहीं करता है यदि यह विवेकपूर्ण रूप से विश्वसनीय और ठोस है। इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति एम. एम.

तानागौदर आयोजित:

" 13. जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि सभी चश्मदीद गवाह मृतक के करीबी रिश्तेदार हैं, अब यह सर्वसम्मत है कि संबंधित गवाह को केवल पीड़ित का रिश्तेदार होने के कारण "इच्छुक" गवाह नहीं कहा जा सकता है। इस न्यायालय ने कई मामलों में "इच्छुक" और "संबंधित" गवाहों के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा है कि एक गवाह को इच्छुक कहा जा सकता है।

केवल तभी जब वह एक के परिणाम से कुछ लाभ प्राप्त करता है

मुकदमेबाजी, जिसका अर्थ किसी आपराधिक मामले के संदर्भ में यह होगा कि गवाह का अभियुक्त को पूर्व शत्रुता या अन्य कारणों से दंडित होते देखने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित है, और इस प्रकार अभियुक्त को गलत तरीके से फंसाने का उद्देश्य है।

14. आपराधिक मामलों में, अक्सर यह मामला होता है कि अपराध

पीड़ित के एक करीबी रिश्तेदार द्वारा गवाह, जिसकी उपस्थिति पर

अपराध का दृश्य स्वाभाविक होगा। इस तरह के सबूत

गवाह पर लेबल लगाकर गवाह को स्वचालित रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है।

रुचि के रूप में। वास्तव में, इस संबंध में सबसे शुरुआती बयानों में से एक

आपराधिक मामलों में इच्छुक गवाहों को इस न्यायालय द्वारा बनाया गया था

दलीप सिंह बनाम। पंजाब राज्य [दलीप सिंह बनाम। पंजाब राज्य,

1954 एससीआर 145: आकाशवाणी 1953 एससी 364: 1953 क्रि एल. जे. 1465], जिसमें

इस न्यायालय ने टिप्पणी की: (एयर पी। 366, पैरा 26)

" 26. एक गवाह को आम तौर पर स्वतंत्र माना जाता है जब तक कि
वह उन स्रोतों से निकलता है जिनके दूषित होने की संभावना है

और इसका आम तौर पर मतलब है जब तक कि गवाह के पास कारण न हो, जैसे कि

आम तौर पर एक करीबी रिश्तेदार असली की जांच करने वाला अंतिम व्यक्ति होता है। अपराधी और एक निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाना।

" "

15. संबंधित गवाह के मामले में, न्यायालय उसके साथ व्यवहार नहीं कर सकता है। स्वाभाविक रूप से दागी गवाही, और केवल यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि साक्षय स्वाभाविक रूप से विश्वसनीय, संभावित, ठोस और सुसंगत है।

9)

19 एससीसी 567 [2021] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. अभिलेख पर साक्षय का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया गया है सत्र न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय भी। तीन चश्मदीद गवाहों की उपस्थिति को बदनाम करने का कोई आधार नहीं है और क्रूस पर चढ़ाए जाने के दौरान उनकी उपस्थिति पर संदेह करने के लिए कुछ भी नहीं पाया गया है। गैर कथित रूप से अस्वस्थ मृतक की बेटी की जांच को ऐसी परिस्थिति नहीं माना जा सकता है जो अभियोजन पक्ष के लिए घातक हो। एक बार पी. डब्ल्यू. 1,2 और 3 का नेत्र साक्षय सुसंगत और विश्वसनीय होता है। मृतक को लगी चोटों की प्रकृति चश्मदीद गवाहों द्वारा दिए गए विवरण के अनुरूप है।

C. 2 हथियार को बरामद करने और बैलिस्टिक की जांच करने में विफलता विशेषज्ञ

17. मृतक को बंदूक की गोली से चोट लगी थी। प्रवेश और निकास। इसलिए अपराधों के हथियार की बरामदगी न होने से अभियोजन पक्ष के मामले को बदनाम नहीं किया जा सकता है जिसने पीडब्लू 1,2 और 3 के चश्मदीद गवाहों के विवरणों पर भरोसा किया है। सुखवंत सिंह बनाम। पंजाब राज्य के डॉ. ए. एस. आनंद (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने दो-न्यायाधीशों की पीठ की ओर से कहा:

" 21. इस मामले में एक और कमजोरी है। हम पाते हैं कि जबकि एक खाली [एस. आई. सी.] पीडब्लू 6, ए. एस. आई. द्वारा बरामद किया गया था।

घटनास्थल से रघुबीर सिंह और कुछ लोगों के साथ एक पिस्तौल
अपीलार्थी के कब्जे से कारतुस जब्त किए गए थे

उसकी गिरफ्तारी का समय, फिर भी अभियोजन पक्ष, सबसे अच्छी तरह से ज्ञात
कारणों के लिए

यह, बरामद खाली [एस. आई. सी.] और जब्त की गई पिस्तौल को नहीं भेजा

परीक्षण और विशेषज्ञ राय के लिए बैलिस्टिक विशेषज्ञ। तुलना

ऐसे मामले जहां आग्नेयास्त्रों के कारण चोटें आती हैं, की राय
बैलिस्टिक विशेषज्ञ का काफी महत्व है जहाँ

आग्नेयास्त्र और अपराध कारतुस दोनों बरामद किए गए हैं।

जाँच के दौरान एक आरोपी को उससे जोड़ने के लिए

अपराध। इससे पहले विशेषज्ञ की राय प्रस्तुत करने में विफलता
ऐसे मामलों में विचारण न्यायालय की साख को प्रभावित करता है

काफी हद तक अभियोजन का मामला "।

(जोर दिया
गया)

(1995) 3 एस. सी. सी. 367 गुलाब बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

उपरोक्त उद्धरण, जिस पर अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया है, इस बात पर जोर देता है कि ऐसे मामले में जहां बन्दूक से चोट लगी है, बैलिस्टिक विशेषज्ञ की राय काफी महत्वपूर्ण है जहां जाँच के दौरान बन्दूक और अपराध का कारतुस दोनों बरामद किए गए थे। विशेषज्ञ तैयार करने में विफलता

मामला। 18. हालाँकि, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ, गुरुचरण सिंह बनाम। पंजाब 5 राज्य ने इस न्यायालय के उदाहरणों का विश्लेषण किया है।

और यह अभिनिर्धारित किया कि एक घातक हथियार के उपयोग से जुड़े प्रत्येक मामले में एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ की परीक्षा एक अनम्य नियम नहीं है। न्यायमूर्ति पी बी गजेंद्रगडकर (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) के माध्यम से बोलते हुए, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 41. हालांकि, यह तर्क दिया गया है कि प्रत्येक मामले में जहां एक आरोपी व्यक्ति पर घातक हथियार से हत्या का अपराध करने का आरोप लगाया जाता है, अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह विशेषज्ञ साक्षय द्वारा यह साबित करे कि जिस हथियार से और जिस तरीके से उन पर आरोप लगाया गया है, उससे चोट लगने की संभावना थी या कम से कम संभव थी।

कारण; और इस प्रस्ताव के समर्थन में, मोहिंदर सिंह बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा गया है। राज्य [(1950) एससीआर 821]। उस मामले में, इस अदालत ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अभियुक्त ने मृतक को बंदूक से गोली मारी थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक को राइफल से चोटें लगी थीं और यह साबित करने के लिए कोई विधिवत योग्य विशेषज्ञ का कोई सबूत नहीं था कि चोटें बंदूक से लगी थीं, और चोटों की प्रकृति भी ऐसी थी कि गोलियां एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा चलाई गई होंगी और केवल एक व्यक्ति द्वारा नहीं, और यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि दूसरे व्यक्ति ने भी गोली चलाई थी, और मौखिक साक्षय ऐसा था जो उदासीन नहीं था, एक विशेषज्ञ की जांच करने में विफलता अभियोजन पक्ष के मामले में एक गंभीर दुर्बलता होगी। यह ध्यान दिया जाएगा कि ये अवलोकन किए गए थे
एक मामले में जहां अभियोजन पक्ष के साक्षय से पीड़ित था

गंभीर दुर्बलताएँ और इनके प्रभाव को निर्धारित करने में

जिन तथ्यों के संबंध में वे किए गए थे, उन्हें भूलना उचित या उचित नहीं होगा। इन टिप्पणियों का उद्देश्य एक अनम्य नियम निर्धारित करना नहीं है।

5 (1963) 3 एससीआर 585 [2021] 9 एससीआर

कि प्रत्येक मामले में जहाँ एक अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है

घातक हथियार से हुई हत्या, अभियोजन पक्ष का मामला

आरोप साबित करने में तभी सफल हो सकता है जब कोई विशेषज्ञ

जाँच की गई। ऐसे मामलों की कल्पना करना संभव है जहाँ प्रत्यक्ष

बैलिस्टिक विशेषज्ञ की परीक्षा को ऐसा नहीं माना जा सकता है
आवश्यक है। जहाँ प्रत्यक्ष साक्षय संतोषजनक नहीं है या

निस्वार्थ या जहाँ चोटों का आरोप लगाया गया है

एक बंदूक के कारण और वे प्रथम दृष्टया प्रतीत होते हैं
एक राइफल द्वारा लगाया गया, निस्संदेह स्पष्ट असंगति

ठीक किया जा सकता है या मौखिक साक्षय की पुष्टि की जा सकती है

एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ के साक्षय का नेतृत्व करना। किन मामलों में

प्रमाण के लिए बैलिस्टिक विशेषज्ञ की जाँच आवश्यक है।

अभियोजन पक्ष के मामले में, स्वाभाविक रूप से निर्भर होना चाहिए

प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ। इसलिए हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि

श्री पुरुषोत्तम एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में तर्क देने में सही हैं

कि हर उस मामले में जहां कथित तौर पर आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल किया गया हो

एक अभियुक्त व्यक्ति द्वारा, प्रत्यक्ष साक्षय के अलावा, अभियोजन

एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ के साक्षय का नेतृत्व करना चाहिए, चाहे वह कितना भी
अच्छा क्यों न हो

प्रत्यक्ष साक्षय हो सकता है और हालांकि रिकॉर्ड पर कोई नहीं हो सकता है

उक्त प्रत्यक्ष साक्षय पर संदेह करने का कारण।

(जोर दिया
गया)

19. इसी तरह, पंजाब राज्य में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ

वी. जुगराज सिंह ने देखा था कि अभियोजन पक्ष के मामले में आसपास की परिस्थितियां बरामद किए गए हथियार की बैलिस्टिक जांच के बिना घातक हथियार से हुई मौत को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। न्यायालय ने न्यायमूर्ति आर. पी. सेठी के माध्यम से बोलते हुए कहा था:

उन्होंने कहा कि जब्त की गई बंदूकें काम करने की स्थिति में नहीं थीं और उन्होंने उसका विवेकाधिकार, पाया कि भेजने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा

बैलिस्टिक विशेषज्ञ के लिए उनकी राय के लिए भी ऐसा ही है। आगे कोई सवाल नहीं पता लगाने के लिए जाँच अधिकारी से जिरह की गई

पता लगाएँ कि बंदूकें दोषपूर्ण होने के बावजूद आग का पिन अंदर था या नहीं

आदेश दें या न दें। दो के विश्वसनीय साक्षय की उपस्थिति में

6 (2002) 3 एस. सी. सी. 234 गुलाब बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

प्रत्यक्षदर्शी और अन्य उपस्थित परिस्थितियों में हम यह नहीं पाते हैं कि इस मामले में विशेषज्ञ की गैर-जांच में, किसी भी मामले में,

जिस तरह से, द्वारा प्रस्तुत संस्करण की साख को प्रभावित किया

प्रत्यक्षदर्शी "।

20. वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहां एक आग्नेयास्त्र या कारतुस की बरामदगी के बावजूद अभियोजन पक्ष बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट पेश करने में विफल रहा हो। इसलिए, एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता जो किसी विशेष हथियार से होने वाली घातक चोटों की गवाही दे सकती है, प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाहों के विश्वसनीय साक्षय पर महाभियोग चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

सी. 2 आई. पी. सी. की धारा 34 के तहत सामान्य इरादा

21. आई. पी. सी. की धारा 34 में प्रावधान है कि:
" 34. समान इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। जब सभी के समान इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा एक आपराधिक कार्य किया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक

उस कार्य के लिए उसी तरीके से उत्तरदायी है जैसे कि यह उसके द्वारा किया गया था

अकेला। "

22. उपरोक्त प्रावधानों में अंतर्निहित सुस्थापित सिद्धांत पांडुरंग, तुकिया में न्यायमूर्ति विवियन बोस के निर्णय से उभरता है।

और भिल्लिया बनाम। हैदराबाद राज्य 'जहाँ यह आयोजित किया गया था:

दूसरे के आपराधिक कार्य के लिए दोषी ठहराए जाने पर, यह कार्य उन सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया गया होगा: महबूब शाह बनाम राजा सम्राट [72 आई. ए. 148 153 और 154 पर]। तदनुसार मन की एक पूर्व बैठक होनी चाहिए थी। कई लोग एक साथ एक आदमी पर हमला कर सकता है और प्रत्येक का एक ही इरादा हो सकता है, अर्थात् मारने का इरादा, और प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से एक अलग घातक प्रहार कर सकता है और फिर भी किसी का भी अनुभाग द्वारा आवश्यक सामान्य इरादा नहीं होगा क्योंकि एक पूर्व-व्यवस्थित योजना बनाने के लिए मन की कोई पूर्व बैठक नहीं थी। इस तरह के मामले में, प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा की गई किसी भी चोट के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा, लेकिन किसी को भी दूसरों में से किसी के कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है; और यदि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सकता है कि उसका अलग झटका था

7 1955 एस. सी. आर. (1) 1083 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

एस सी आर।

घातक हत्या के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, हालांकि स्पष्ट रूप से

हत्या करने का इरादा उसके मामले में साबित हो सकता है: बरेंद्र कुमार

घोष बनाम। राजा-सम्राट [72 आई. ए. 148 153 और 154 पर] और महबूब शाह बनाम। राजा-सम्राट [52 IA 40 पर 49]। जैसा कि उनके प्रभु कहते हैं

बाद के मामले में, "विभाजन जो उनकी सीमाओं को विभाजित करता है, अक्सर होता है बहुत पतला: फिर भी, अंतर वास्तविक और महत्वपूर्ण है, और

यदि अनदेखी की जाती है तो न्याय की विफलता होगी "।

34. योजना को विस्तृत होने की आवश्यकता नहीं है, न ही इसका लंबा अंतराल है। समय की आवश्यकता है। यह अचानक उत्पन्न हो सकता है और बन सकता है, जैसे

उदाहरण के लिए जब एक आदमी राहगीरों को उसकी मदद करने के लिए बुलाता है

किसी दिए गए व्यक्ति को मार दें और वे, या तो अपने शब्दों से या

उनके कार्य, उन्हें उनकी सहमति का संकेत देते हैं और उनके साथ शामिल होते हैं

हमला। तब मन की आवश्यक बैठक होती है। एक पूर्व-व्यवस्थित योजना है, भले ही जल्दबाजी में बनाई गई हो और

अशिष्ट रूप से कल्पना की। लेकिन पूर्व-व्यवस्था होनी चाहिए और

पूर्व नियोजित संगीत कार्यक्रम। यह पर्याप्त नहीं है, जैसा कि बाद की प्रिवी काउंसिल में है। मामला, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से एक ही इरादा रखने के लिए, उदाहरण के लिए,

दूसरे को बचाने का इरादा और, यदि आवश्यक हो, तो उन लोगों को मारने के लिए जो

विरोध करें। "

(जोर दिया गया)

23. विरेन्द्र सिंह बनाम। मध्य प्रदेश राज्य 3, न्याय

दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए वीर भंडारी ने "सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए" शब्दों के दायरे की व्याख्या की:

" 15. आम तौर पर, एक व्यक्ति अपने स्वयं के कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। एक व्यक्ति दूसरों के कृत्यों के लिए परोक्ष रूप से भी जिम्मेदार हो सकता है यदि उसके पास था

अपराध करने का सामान्य इरादा। शब्द "सामान्य" इरादा "एक पूर्व निर्धारित योजना का संकेत देता है और उसके अनुसार कार्य करता है

योजना के लिए। यह साबित किया जाना चाहिए कि आपराधिक कृत्य में किया गया था

लंबे अंतराल की आवश्यकता नहीं है। इस खंड के तहत एक पूर्व कार्यक्रम में एक विशिष्ट पूर्व योजना की भावना को साबित करना आवश्यक नहीं है।

किसी विशेष परिणाम को लाने का सामान्य इरादा अच्छी तरह से हो सकता है

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का संदर्भ स्थिति। हालांकि आम इरादा मौके पर ही विकसित हो सकता है, यह

हालाँकि, आयोग के समय के पूर्ववर्ती होना चाहिए

(घ) 8 एस. सी. सी. 407 गुलाब बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

एक पूर्व निर्धारित योजना और पूर्व संगीत कार्यक्रम दिखाने वाला अपराध। द.

लड़ाई के दौरान सामान्य इरादा विकसित हो सकता है लेकिन वहाँ उस निष्कर्ष को सही ठहराने के लिए स्पष्ट और निर्विवाद प्रमाण होना चाहिए।

यह इस न्यायालय द्वारा अमरीक में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।

465] . ” 24. खंड में अंतर्निहित मौलिक सिद्धांतों पर जोर देना।

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है:

धारा 34 एक विशिष्ट अपराध नहीं बनाती है, लेकिन एक

((i)

रचनात्मक दायित्व का सिद्धांत;

((ख)

किसी अपराध के लिए संयुक्त दायित्व वहन करने के लिए आवश्यक है

के बीच एक पूर्व-व्यवस्थित और पूर्व-मध्यस्थता संगीत कार्यक्रम हो

वास्तव में किए गए कार्य को करने के लिए अभियुक्त व्यक्ति;

(iii)

अधिनियम और अधिनियम के बीच एक लंबा अंतराल नहीं हो सकता है।

पूर्व-ध्यान और योजना अचानक बन सकती है। क्रम में

धारा 34 के लागू होने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि

अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि कोई कार्य किसी विशेष व्यक्ति द्वारा किया गया था।

व्यक्ति; और

((iv) इस प्रावधान का उद्देश्य ऐसे मामलों को शामिल करना है जिनमें

व्यक्तियों का एक साथ कार्य करना और मामले के तथ्यों पर, यह है

अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना संभव नहीं है कि वास्तव में अपराध किसने किया था।

25. इन सिद्धांतों को अपनाया गया है और दूसरे में लागू किया गया है।

छोटा अहिरवार बनाम में इस न्यायालय की न्यायपीठ का निर्णय। प्रदेश राज्य '। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने दोनों-न्यायाधीश एच की ओर से बोलते हुए कहा:

" 26. दंड संहिता की धारा 34 को आकर्षित करने के लिए किसी स्पष्ट कार्य की आवश्यकता नहीं है।

अभियुक्त की ओर से यदि वे समान इरादे साझा करते हैं

अंतिम आपराधिक कार्य के संबंध में अन्य, जो इस तरह के इरादे को साझा करने वाले अभियुक्तों में से किसी एक द्वारा किया जा सकता है [अशोक देखें]

बसाक [अशोक बसाक बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2010) 10 एस. सी. सी.

660 (2011) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 85], एस. सी. सी. पी. 669] . से उद्धृत करते हुए

बरेंद्र के प्रसिद्ध मामले में प्रिवी काउंसिल का निर्णय

कुमार घोष [बरेंद्र कुमार घोष बनाम। राजा सम्राट, 1924

एससीसी ऑनलाइन पीसी 49: (1924-25) 52 आई ए 40: ए. आई. आर. 1925 पी. सी. 1] ", वे

उन लोगों की भी सेवा करें जो खड़े हैं और प्रतीक्षा करते हैं।

27. आम इरादे का अर्थ है सामूहिक रूप से कार्य करना। एक पूर्व निर्धारित योजना के अस्तित्व को या तो संचालन से साबित करना होगा

अभियुक्त, या परिस्थितियों या किसी भी दोषपूर्ण तथ्यों से। एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से एक ही इरादा रखना पर्याप्त नहीं है।

26. धनपाल बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) 0, अपीलार्थी ने एक सह-अभियुक्त को मृतक को मारने के लिए प्रोत्साहित किया था। उपदेश नहीं था

प्रत्यक्षदर्शी द्वारा समान शब्दों में दोहराया गया। इसके अलावा, यह भी आरोप लगाया गया कि कोई तटस्थ गवाह नहीं था क्योंकि सभी चश्मदीद गवाह थे वे मृतक के रिश्तेदार थे और प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई थी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा:

" 8. हालाँकि, यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि तीनों अपीलकर्ता एक साथ घटना स्थल पर लौट आए थे और धनपाल द्वारा हत्या करने का आह्वान करते हुए मृतक पीड़ित पर हमला किया था

अजय। उन्होंने पीड़ित को पकड़ लिया था और कहा था कि कमल ने चाकू से उसे कई चोटें पहुंचाई थीं। प्रकट किए गए साक्षय के आधार पर, निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने पाया कि चारों दोषियों के मन की पूर्व बैठक हुई थी और तीनों अपीलार्थियों का इरादा कमल के साथ समान था। इस बिंदु पर, आसिफ खान बनाम में इस न्यायालय के निर्णय का अनुपात। महाराष्ट्र राज्य [आसिफ खान बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2019) 5 एस. सी. सी. 210: (2019) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 484] प्रासंगिक है। इससे पहले के एक मामले में, राजकिशोर पुरोहित बनाम। एम. पी. राज्य [राजकिशोर पुरोहित बनाम। एम. पी. राज्य, (2017) 9 एस. सी. सी. 483 (2017) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 749], यह अभिनिर्धारित किया गया है कि हत्या, प्रत्यक्ष कार्य या कब्जा करने का सामान्य इरादा स्थापित करने के लिए

सभी अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा हथियारों की आवश्यकता नहीं है। में।

रिचपाल सिंह मीणा बनाम। घासी [रिचपाल सिंह मीणा बनाम। घासी (2014) 8 एस. सी. सी. 918: (2014) 6 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 424], अनुपात यह है कि हमले की प्रकृति ऐसी है कि लक्षित व्यक्ति है

उसके परिणामस्वरूप होने वाली चोटों से मरने की संभावना होने पर, अभियुक्त को अपने कृत्य के परिणामों के बारे में पता होना चाहिए।

11. हम पाते हैं कि अपील में निचली अदालत और उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण अपीलार्थियों की ओर से बताई गई विसंगतियों से निपटने के लिए उचित था। एफ. आई. आर. दर्ज करने में हुई देरी

ठीक से समझाया गया है और दोषसिद्धि का निर्णय उस कारण से विफल नहीं हो सकता है। यह एक तथ्य है कि प्रत्यक्षदर्शी मृतक को जानते थे और कोई तटस्थ गवाह नहीं था। लेकिन केवल इसी कारण से हम अपीलार्थियों को दोषमुक्त नहीं कर सकते हैं, विशेष रूप से क्योंकि प्रथम दृष्टांत न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय पहले ही दोषमुक्त कर चुके हैं। साक्षय की जांच की और अभियोजन पक्ष के पक्ष में अपने निष्कर्ष दिए। जहाँ तक अपीलार्थियों का संबंध है, हम दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। सभी

तीनों अपीलें खारिज कर दी जाती हैं।"

हाल ही में संदीप वी. हरियाणा राज्य 1 1, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक अभियुक्त द्वारा दिया गया प्रोत्साहन सह-अभियुक्त द्वारा गोली चलाने से ठीक पहले मृतक अपराध में अपनी संलिप्तता को उचित संदेह से परे साबित कर देगा। तदनुसार, इस न्यायालय ने अभियुक्त की दोषसिद्धि को बरकरार रखा

आई. पी. सी. की धारा 303 और 34।

27. अभिलेख पर साक्षय स्पष्ट रूप से एक सामान्य इरादे को स्थापित करता है जिसके अनुसरण में अपीलार्थी ने इदरीश को मृतक को मारने के लिए प्रोत्साहित किया। अभियोजन पक्ष को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि मृतक को मारने के लिए आरोपी के बीच एक विस्तृत योजना थी या लंबे समय से एक योजना अस्तित्व में थी। अपराध करने का एक सामान्य इरादा तब साबित होता है जब आरोपी अपने शब्दों या कार्यों से अपराध करने में शामिल होने के लिए अपनी सहमति का संकेत देता है। अपीलार्थी पिस्तौल रखने वाले इदरीश के साथ लाठी लेकर मौके पर पहुँचा। अपीलार्थी का उपदेश अपराध करने के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उसके बयान देने के बाद ही दुश्मन पाया गया कि इदरीश ने घातक गोली चलाई। अपीलार्थी की भूमिका, मौके पर उसकी उपस्थिति और प्रोत्साहन की प्रकृति सभी तीन चश्मदीद गवाहों के सुसंगत विवरण से सामने आई हैं।

डी निष्कर्ष

28. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, अपील में कोई योग्यता नहीं है, अपील तदनुसार खारिज हो जाएगी।

29. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

याचिका खारिज कर दी गई।

दिव्या पांडे

1 1 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 642